खारीज किया गया है। तत्पश्चात इसके विरूद्ध में माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची में रिट याचिका सं0 5228/1992 दायर किया जिसमें पारित आदेश दिनांक 21.02.2000 द्वारा निम्न न्यायालय (उपायुक्त एवं आयुक्त) को आदेश को रद्द करते हुए उपायुक्त को दोनों पक्षों को नोटिस करते हुए नये सिरे से जांच हेतु आदेश दिया गया।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विपक्षी को प्रधानी बन्दोबस्ती पट्टा दिनांक 02.03.1994 निर्गत किया गया है। उस समय नागेन्द्र नाथ सेन प्रधान पद पर कार्यरत नहीं थे बल्कि पद से बर्खास्त किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में उस अवधि में निर्गत पट्टा को मान्यता दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है। साथ ही विपक्षी को पूर्व प्रधान द्वारा निर्गत उक्त बन्दोबस्ती को रद्द किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।

221

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिविजन वाद सं0– 05/2013–14

पानबोली मरांडी ..... आवेदक

बनाम

कार्तिक गोराई एवं अन्य ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

08/04/2016 यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 05/13–14 पानबोली मरांडी बनाम् कार्तिक गोराई एवं अन्य मौजा बेलियाडीह, अंचल मसलिया के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0 356/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2011 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं थे, फलतः उनके ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा बेलियाडीह के दाग सं0 57 सर्वे खतियान में परती कदीम बोलकर दर्ज है। यह दाग आवेदक के जमाबन्दी जमींन से सटा हुआ दाग सं0 56, 59, 60 एवं 61 में खंडित कर मिला लिया गया है तथा जोत आबाद किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा उक्त दाग सं0 57 रकवा 00–14–16 धूर जमींन को प्रधानी बन्दोबस्ती पट्टा के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा सीमांकन करवा लिया है। उन्होंने आगे कहा है कि जिस समय विपक्षी को यह बन्दोबस्ती पट्टा निर्गत किया गया है उस समय प्रधान कार्यरत नहीं था, बल्कि मौजा के प्रधान को पी0डी0 वाद सं0 43/1978–79 में अनुमंडल पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर तत्कालीन उपायुक्त एवं माननीय आयुक्त द्वारा बर्खास्त किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में बर्खास्त प्रधान के द्वारा निर्गत बन्दोबस्ती पट्टा के आधार पर प्रश्नगत जमींन का सीमांकन किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय में पारित आदेश तथा अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी को बन्दोबस्ती पट्टा दिनांक 23.03.1994 को भूतपूर्व प्रधान नागेन्द्र नाथ सेन द्वारा निर्गत किया गया है। किन्तु अभिलेख में उपलब्ध कागजात के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रधान नागेन्द्र नाथ सेन को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0डी0 वाद सं0 43/1978–79 में पारित आदेश दिनांक 01.03.1979 द्वारा बर्खास्त किया जा चुका है। इस आदेश के विरूद्ध में दायर अपील को माननीय आयुक्त के आदेश दिनांक 30.09.1991 के द्वारा